(11)

# <u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

**समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,**
**प्रशासकीय सदस्य**

------------

एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2894 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.08.2017 पारित द्वारा तहसीलदार जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 14/अ-70/16-17

-----------

1. रतनचन्द्र जैन पुत्र गुलाब चन्द्र जैन
2. लव जैन पुत्र श्री नवीन कुमार जैन
   निवासीगण- नरेन्द्र नगर, छत्री रोड़,
   शिवपुरी (म.प्र.) ..............**आवेदकगण**

**<u>विरुद्ध</u>**

दिनेश कुमार चौबे उर्फ मंगू चौबे
निवासी- डी0आर0पी0 लाइन, क्वा.नं.5
ग्वालियर (म.प्र.) ..............**अनावेदक**

--------------

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लाखन सिंह धाकड़
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

-------------

**आदेश**

**(आज दिनांक....05/04/2018.......को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 14/अ-70/16-17 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार शिवपुरी के न्यायालय में संहिता की धारा-250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तत किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.08.2017

द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2017 ख़ारिज किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी प्रतिवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि सर्वे क्रमांक 454, 455, 456 स्थित ग्राम फतेहपुर का भाग है। तथा उक्त सर्वे नंबर में प्लाट बनाकर विक्रय किए गए हैं। उक्त सर्वे नंबरान से कई प्लाट विक्रय किए गए हैं और आने-जाने के लिए रास्ता दिया गया है। उक्त सर्वे नम्बरान में भू-खण्डों का निर्माण किया गया है। अनावेदकगण का उक्त प्लाट इन्हीं सर्वे नम्बरान का एक भाग है, ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा आवेदकगण के प्लाट पर धारा 250 की कार्यवाही करना उचित नहीं है, क्योंकि आवेदकगण का प्लाट सर्वे क्रमांक 457/मिन-31 का भाग है, जो सर्वे नम्बरान भिन्न-भिन्न है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण द्वारा कब्जा किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त विवादित भूमि नगर पालिका शिवपुरी की सीमा में स्थित है इस कारण अनावेदक के द्वारा की गई धारा 250 की कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं थी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग न करते हए आवेदकगण की आपत्ति निरस्त कर गंभीर वैधानिक भूल की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा उक्त भू-खण्डों के संबंधमें कभी कोई सीमांकन नहीं कराया है, जबकि अनावेदक को सीमांकन कराने के पश्चात धारा 250 की कार्यवाही करनी थी, किंतु उसके द्वारा बना सीमांकन कराये धारा 250 की कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है, इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित, न्यायिक एवं विधि संगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत तथ्यहीन मानते हुए खारिज किया है, उक्त आदेश में प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का आधार न होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

**(एम. गोपाल रेड्डी)**
**प्रशासकीय सदस्य**
**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश**
**ग्वालियर**